न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 128/2017 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती उदी बाई बेवा स्वर्गीय कन्ना जी गमेती (मृतक) के बजाय :–

1/1. लक्ष्मीलाल उर्फ लक्ष्मण पिता स्वर्गीय कन्ना जी गमेती, निवासी गांव भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. रूपलाल उर्फ रूपा पिता स्वर्गीय कन्ना जी गमेती, निवासी गांव भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. अम्बालाल पिता स्वर्गीय कन्ना जी गमेती, निवासी गांव भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)
2. तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. नगर विकास प्रन्यास, जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) गिर्वा
दिनांक 27.07.2017, प्र.सं. 36/2015

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक UIT
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 18–02–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के मौरूष स्वर्गीय कूका पिता चन्दा भील की राजस्व ग्राम रूपनगर में कृषि भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 1888/4

रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा व आराजी नंबर 1927/6 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा थे। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 अनुसार होकर उक्त साबिक आराजी नंबरों के नये नंबर 3837 रकबा 0.2400 हैक्टर, 3838 रकबा 0.2300 हैक्टर, 3839 रकबा 0.1900 हैक्टर, 3840 रकबा 0.0100 हैक्टर, 3841 रकबा 0.0500 हैक्टर, 3842 रकबा 0.0100 हैक्टर, 3843 रकबा 0.3500 हैक्टर बने हैं, जिसमें से केवल मात्र आराजी नंबर 3843 रकबा 0.3500 बिना किसी अधिकार के बिलानाम सरकार दर्ज कर दिये गये, जबकि वादीगण उक्त आराजीयात पर भौतिक कब्जा चला आ रहा है तथा वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदार हो चुका है। अतः वादीगण को विवादित आराजी नंबर 3843 रकबा 0.3500 का खातेदार घोषित किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

उपरोक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी संख्या 3 नगर विकास प्रन्यास द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसका जवाबुल जवाब भी वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी संख्या 3 नगर विकास प्रन्यास द्वारा आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि कृषि भूमि नहीं होकर आबादी भूमि है तथा वर्तमान में नगर विकास प्रन्यास के खाते में दर्ज है, जिससे उक्त भूमि बाबत श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27–07–2017 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 21–08–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 नगर विकास प्रन्यास की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चुण्डावत एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट द्वारा बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि दिनांक 05–07–2017 को पेशी नियत थी एवं

अपीलान्टगण न्यायालय में उपस्थिति हुए, किन्तु उन्हें कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया एवं दिनांक 27–07–2017 को फॉलोअप कैम्प में प्रकरण रखकर वाद खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। हाल आराजी नंबर 3843 रकबा 0.3500 हैक्टर साबिक आराजी नंबर 1888/4 से बने है, जो वादीगण के पूर्वज की खातेदारी की थी, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी कूका भील के खाते में खाता संख्या 379 की आराजी नंबर 1888/4 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा एवं आराजी नंबर 1927/6 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा तथा खाता संख्या 562 की आराजी नंबर 2017/1 रकबा 15 बिस्वा भूमि थी अर्थात कुल रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा था, जिसका रूपान्तरित रकबा 1.5016 हैक्टर होता है, जबकि अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी के खाते में हाल आराजी नंबर 3171, 3820, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841 व 3842 कुल किता 8 रकबा 1.7100 हैक्टर भूमि दर्ज हुई है, जो 0.2084 हैक्टर अधिक होने से बिलानाम दर्ज होनी चाहिए थी। अपीलान्ट के खाते में 0.2084 हैक्टर अधिक भूमि दर्ज हो जाने के बावजूद भी उसके द्वारा 0.3500 हैक्टर की मांग की जा रही है, इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट स्वच्छ हाथों से नहीं आये हैं।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी कूका के खाते में खाता संख्या 379 की आराजी नंबर 1888/4 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा एवं आराजी नंबर 1927/6 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा तथा खाता संख्या 562 की आराजी नंबर 2017/1 रकबा 15 बिस्वा भूमि थी अर्थात कुल रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा था, जिसका रूपान्तरित रकबा 1.5016 हैक्टर होता है, जबकि अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी के खाते में हाल आराजी नंबर 3171, 3820, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841 व 3842 कुल किता 8 रकबा क्रमशः 0.1600, 0.8200, 0.2400, 0.2300, 0.1900, 0.0100, 0.0500 व 0.0100 कुल रकबा 1.7100 हैक्टर भूमि दर्ज हुई है, जो 0.2084 हैक्टर अधिक है, फिर भी अपीलान्ट द्वारा आराजी नंबर 3843 में से 0.3500

हैक्टर भूमि की और मांग की जा रही है। अपीलान्टगण द्वारा हाल आराजी नंबर 3171, 3820, 3840, 3841 व 3842 कुल किता 5 रकबा क्रमशः 0.1600, 0.8200, 0.0100, 0.0500, 0.0100 कुल रकबा 1.0500 हैक्टर का मुआवजा नगर विकास प्रन्यास से प्राप्त का लिया गया है, जबकि 3837, 3838, 3839 कुल किता 3 रकबा क्रमशः 0.2400, 0.2300, 0.1900 कुल रकबा 0.6600 हैक्टर भूमि का प्लान नगर विकास प्रन्यास द्वारा पास किया गया है। उपरोक्तानुसार विवेचन से हम यह पाते हैं कि अपीलान्टगण के खाते में जो 0.2084 हैक्टर अधिक रकबा दर्ज हुआ है वह हाल आराजी नंबर 3837, 3838, 3839 कुल किता 3 रकबा क्रमशः 0.2400, 0.2300, 0.1900 कुल रकबा 0.6600 हैक्टर, जिसका प्लान नगर विकास प्रन्यास द्वारा पास किया गया है, उसमें से की जाकर नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज की जावे।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–07–2017 यथावत रखी जाती है तथा हाल आराजी नंबर 3837, 3838, 3839 कुल किता 3 रकबा क्रमशः 0.2400, 0.2300, 0.1900 कुल रकबा 0.6600 हैक्टर भूमि में से अपीलान्ट के खाते में दर्ज अधिक भूमि रकबा 0.2084 हैक्टर अपीलान्ट के खाते से कम की जाकर नगर विकास प्रन्यास के खाते एवं कब्जे में लेने के आदेश दिये जाते हैं। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18–02–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती उदीबाई के बजाय लक्ष्मीलाल, लक्ष्मण पिता स्व.कन्ना गमेती, निवासी गांव भुवाणा, तहसील बड़गांव व अन्य बनाम **राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**128/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**सहायक कलक्टर**.....
.....**फास्ट ट्रेक गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**27**.....माह.....**07**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**18**...माह.....**02**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री हनुमान प्रसाद शर्मा**...मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री नरपतसिंह चुण्डावत**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–07–2017 यथावत रखी जाती है तथा हाल आराजी नंबर 3837, 3838, 3839 कुल किता 3 रकबा क्रमशः 0.2400, 0.2300, 0.1900 कुल रकबा 0.6600 हैक्टर भूमि में से अपीलान्ट के खाते में दर्ज अधिक भूमि रकबा 0.2084 हैक्टर अपीलान्ट के खाते से कम की जाकर नगर विकास प्रन्यास के खाते एवं कब्जे में लेने के आदेश दिये जाते हैं।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**18**.....माह.....**02**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.06.23 13:16:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: